कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

श्री रिंकु का राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) भौतिक विज्ञान के पद पर चयन होने के पश्चात् इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: शिविरा–मा/संस्था/सी–3/नियुक्ति/भौतिक/पीएससी/2015 दिनांक: 18.07.15 के द्वारा राउमावि, बाप (जोधपुर) में पदस्थापन किया गया ।

सुश्री रिंकु ने अपना पदस्थापन गृह जिला श्रीगंगानगर से दूर होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर में याचिका संख्या 1727/2016 रिंकु बनाम सरकार दायर की । माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक: 17.02.16 के द्वारा याची को अपना अभ्यावेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने व सक्षम विभाग द्वारा अभ्यावेदन पर विचार कर निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किये हैं ।

सुश्री रिंकु द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया, यह पाया गया कि जो परिस्थितियाँ दर्शाई गई हैं वे सामान्य हैं । इनकी नियुक्ति दिनांक के समय श्रीगंगानगर में पद रिक्त नहीं थे । व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) का पद राज्य सेवा स्तर का है, इस पद पर धारित लोकसेवक की सेवा पूरे राज्य में कहीं भी राज्य हित, विद्यालय हित एवं छात्र हित में ली जा सकती है । तदानुसार ही इनका पदस्थापन राउमावि, बाप (जोधपुर) में किया गया है ।

उक्तानुसार अभ्यावेदन खारिज कर निस्तारित किया जाता है ।

(बी.एल.स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी–3/भौगकृ/को.के./16 दिनांक: 17.11.16

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि–प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जोधपुर ।
5. प्रधानाचार्य, राउमावि, बाप (जोधपुर) ।
6. श्री रिंकु, व्याख्याता (भौतिक) राउमावि, बाप (जोधपुर) ।
7. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)